

पति,

प्राचार्य इंदिरा गांधी
शा. मदा., पण्डरिया कबीरधाम (द्व.गं.)

विषय - पद भार ग्रहण बाबत ।

संदर्भ - सापका फा क्रमांक 1301/अ. व्यो. 12021
पण्डरिया दिनांक - 15/11/2021

महोदय,

निवेदन है कि मैं श्रीमती कुंजवरी साहू,
पति-श्री. उमाशंकर साहू, आपके महाविद्यालय
में विषय - "अर्थशास्त्र" के पद पर अतिथि
व्याख्याता के रूप में आज दिनांक 16/11/2021 को
पद भार ग्रहण करना चाहती हूँ ।

अतः आप मुझे पद भार ग्रहण
कराने की कृपा करें ।

धन्यवाद

समापता शा. व्यो.

सावित्रीका

कुंजवरी साहू

विषय - अर्थशास्त्र

पण्डरिया, कबीरधाम

दिनांक
16/11/2021

प्रति,

आमंत्रण-पत्र

श्रीमती लुकेश्वरी साहू
किल्लापाश गार्ड नं. 06
पण्डरिया
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :- विषय अर्थशास्त्र अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 263/स्था./2021 दिनांक 20/10/2021 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय अर्थशास्त्र के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 20/11/2021 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रू. 200/- जो प्रतिदिन रू. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रू. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोकसेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण पत्र स्वमेव समाप्त हो जायेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं हैं। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।

नोट :-1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोशजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।





प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

प्रति,

श्रीमान प्राचार्य महोदय
शा. इंदिरा गांधी महाविद्यालय पठरिया (C)
जिला-कबीर धाम (ह.ग.)

विषय:- अतिरिक्त व्याख्याता भौतिकी शास्त्र सह. प्रख्यापक हेतु ज्वनिंग
ज्वनिंग हेतु आवत।

सन्दर्भ- आपका प्रक्रमांक 302/अ.व्या./2021 पठरिया दिनांक 15/11/2021

महोदय,

निवेदन है कि मैं निलेश्वरी चन्द्राकर, पिता - अशोक कुमार चन्द्राकर
मैं आपके महाविद्यालय में अतिरिक्त व्याख्याता भौतिकी शास्त्र हेतु सत्र
2021-22 में चयनित हुआ हूँ अतः मेरे द्वारा बतये गये शैक्षणिक
आर्हत् पूर्ण किया हूँ अतः आपसे निवेदन है कि आज दिनांक 16/11/2021
को ज्वनिंग देने कि महान कृपा करें।

धन्यवाद

प्रार्थी

Nandakumar

नाम - निलेश्वरी चन्द्राकर
पता - घोरपेन्डी, पो. - केलंगांव
सह. - पठरिया, जिला-कबीर
धाम (ह.ग.)

मो. - 9165151552

दिनांक
16/11/2021

हस्ताक्षर शा.व्या.


प्रति,

आमंत्रण-पत्र

कु. निलेश्वरी चंद्राकर
ड/०३१ अशोक चंद्राकर
ग्रा. दोरपेड़ी, पो. कोलेगांव
तह. पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :- विषय भौतिक शास्त्र अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 263/स्था./2021 दिनांक 20/10/2021 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय भौतिक शास्त्र के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 20/11/2021 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रू. 200/- जो प्रतिदिन रू. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रू. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।


महाविद्यालय में लोकसेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण पत्र स्वमेव समाप्त हो जायेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं हैं। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।

नोट :-1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोशजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।




प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

प्रति

साथ
इडिया गांधी शासनादेश महा पत्रिका
जिला कबीरधाम दण्डा



सं. - 2021-22

विषय : अतिथि व्याख्याता अंग्रेजी पुनः नियुक्ति
- फंडास बाला

संदर्भ : - 1- शासनादेश सं. F3-32/2020/38-1 नया
रायपुर 18/10/2021
2- न्यायादेश सं. WPS NO- 8169 OF 2018

महोदय,

शासनादेश सं. F3 32/2020/38-1 नया दिनांक 18/10/2021
रायपुर अटल नगर द्वारा पारित आदेश एवं
न्यायादेश सं. WPS NO- 8169 OF 2018 माननीय
उच्च - न्यायालय बिलासपुर दण्डा के न्यायादेश
पर मेरी नियुक्ति यथावत रखी गई है.

अतः आपसे अनुरोध
है कि आज दिनांक 20/10/2021 को उक्त
संदर्भित पत्रों के अनुसार महाविद्यालय में
कार्यभार प्रदान करने हुए अस्थापन कार्य व
अनुमति प्रदान करने की कृपा करें.

साथ
पार्थ

दिनांक 20/10/2021

स्थापन 21/10/21



शरद चंडवेशी
विषय अंग्रेजी (अ.प्रा.)
पता - गाम - कुन्ही पो.
कोडलरा चड्ड, तह. उडिया
जिला कबीरधाम. दण्डा

MO - 8085298253

कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया
जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

क्रमांक / 263 / अ.व्या / 2018

पण्डरिया, दिनांक 19/9/2018

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

शरद चंद्रकांती
श्रीम. छुट्टी सी. कोउरारबुर्द
पिन-491559 - लखी छौरिया
जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

विषय :- विषय (इंग्लिश लाहियर) अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 04.07.2017 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय (इंग्लिश लाहियर) के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक 24.09.18 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।


प्रधान

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)



प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महा. पठशाला
जिला - कबीरधाम (द.प्र.)

विषय - अतिथि व्याख्याता (स्नायन शास्त्र) पद पर पुनः
नियुक्ति मुदाय बाबत।

संदर्भ - 1. शासनादेश क्र. फ-3-32/2020/38-1 नवा रायपुर
दिनांक 12/10/2021

2. न्यायदेश WPS NO. 1622 of 2021

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त कायलिय आयुक्त उच्च शिक्षा
संचालनालय नवा रायपुर द.प्र. के पालन में मैं आज
दिनांक 20/10/2021 को अतिथि व्याख्याता विषय - हिन्दी
के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हूँ।
आज दिनांक 20/10/2021 को मैं अपने श्ववर्ती
कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हो चुकी हूँ।

अतः निवेदन है कि उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर द.प्र. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में
मुझे कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें। स.स.
धन्यवाद।

दिनांक - 20/10/2021

संलग्न - उपरोक्तानुसार

स्वायत्त शाखा
[Signature]

दिनांक 20/10/2021

भवदीय

पिंकी वैजवा

विषय - हिन्दी

मो. - 6268118478

पता - शंकर वार्ड पटवा
पारा मुंगेली

प्राचार्य

इंदिरागांधी शा. महा. फर्रिया,
जिला - कबीरधाम (छ.गं.)।



विषय - अतिथि व्याख्याता गणित के पद पर कर्तव्य स्थल में उपरिष्ठत
बालत ।

- संदर्भ - 01. कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक 03 द्वितीय
एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन, नवा रायपुर छ.गं. के
पत्र क्रमांक 724/126/आ.उ.शि. राज. स्था./2021
अवल नगर दिनांक 18.10.2021.
02. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत
शाधिका क्रमांक WPSM/5133/2019 के अंतर्गत
वर्णित.

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र
क्रमांक 01 एवं 02 में दिए गए आदेशों को अवलोकन
करने की कृपा करें।

निवेदन है कि उपरोक्त कार्यालय आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर छ.गं. के पालन
में मैं आज दिनांक 20.10.2021 को अतिथि व्याख्याता
गणित के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरिष्ठत है
आज दिनांक 20.10.2021 को मैं अपने पूर्ववर्ती कर्तव्य
स्थल पर उपरिष्ठत हो चुकी है।

अतः निवेदन है कि उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर छ.गं. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मुझे
कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

दिनांक
20.10.2021
संलग्न उपरोक्तानुसार

ल-रायपुर शाखा

भवदीया 20.10.2021

भूमिजा चंद्राकर
विषय - गणित
ग्रा. - वीड़तरा (खुर्द)
पो. - वीड़तरा
बह. - पणरिया
जिला - कबीरधाम

प्राप्ति



प्राचार्य
इंद्रिया गांधी छात्र महानिदेशिका
जिला खीरहाम (श.ग.)

विषय :- अतिथि सहायता (वाणिज्य) पद पर
पुनः नियुक्ति प्रदान बाबत

संदर्भ :- 1. शासनोद्देश सं. 1-3-32/2020/38-1 नवा
रायपुर दिनांक 18/10/2021

2. न्यायदेश WPS No 2052 of 2020

महोदय

निवेदन है कि उपरोक्त कार्यालय आयुक्त
उच्च शिक्षा संलग्नक के सं. 1-3-32/2020/38-1
दिनांक तथा रायपुर दिनांक 12/10/2021 को आदेशानुसार
में मानवीय उच्च न्यायलय निकातपुर श.ग. के
न्यायाद पर रिक्त पदों के संख्या WPS No 2052
of 2020 के अनुसार मेरी नियुक्ति प्रदान रखा
गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 20/10/2021 को
उक्त संबंधित पत्रों के अनुसार महानिदेशिका में अतिथि
सहायता वाणिज्य में कार्यभार प्रदान करते हुए
अध्यापन कार्य की अनुमति देने की कृपा करें।

इंद्रिया गांधी
दिनांक
20/10/2021

न्यायाद
प्राप्ति

नाम - विभी सिन्हा
विषय - वाणिज्य
मो. - 987750842
पता - खीरहाम जिला

श्री मान प्राचार्य
 इंदिरा गाँधी आ. महा. पठशाला
 जिला - कबीरधाम (द. ग.)



विषय :-

अतिथि व्याख्याता (विषय - रसायन शास्त्र) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत

संदर्भ :-

- कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक 03 द्वितीय एवं तृतीय तल इंडावली क्वार्टर, नवा रायपुर द. ग. के पत्र क्रमांक 724/126/आ.उ. शि/राज रसा, 2021 अटल नगर दिनांक 18-10-2021
- भातनीय दन्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक WPS NO. 2976 of 2021 के आदेश दिनांक

आदरणीय महोदय

उपरोक्त विषयान्वित संदर्भित पत्र क्रमांक 01 एवं 02 में दिये गये आदेशों को अवलोकित करने की कृपा करें

निवेदन है कि उपरोक्त कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर द. ग. के पत्र में आज दिनांक 20-10-2021 की अतिथि व्याख्याता रसायन शास्त्र के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उप. द. आ. दिनांक 20-10-21 को मैं अपने पूर्ववर्ती कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति से चुकी हूँ।

अतः निवेदन है कि उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर द. ग. द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में मुझे कार्यभार ग्रहण करने

दिनांक 20-10-2021
 स. ल. - उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर
 मान प्राचार्य

ग्राम - नागाकुडा
 जिला - गरियाखंड

मान साहू
 विषय - रसायन शास्त्र
 मो. नं. - 6260680304

कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया

विकासखंड-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.), महाविद्यालय कोड-2003

Email - pandariacollege@gmail.com, Website- lgcollegepandariya.com

क्रमांक 37 / अ.व्या. / 2021

पण्डरिया, दिनांक 20/05/2021

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

कुं. मीला साहु

ग्राम - नागाकुडा

नटवावा

जिला गोरखपुर (छ.ग.)

विषय :- विषय अध्यापन शास्त्र अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 673/स्था./2020-21 दिनांक 04/03/2021 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय अध्यापन शास्त्र के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 26-05-2021 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रू. 200/- जो प्रतिदिन रू. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रू. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोकसेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण पत्र स्वमेव समाप्त हो जायेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं हैं। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।

नोट :-1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

प्रति



श्रीमान प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय जलंधर (द.ग.)
जिला कबीरवाह (द.ग.)

विषय - अतिथि व्याख्याता हिन्दी के पद पर कर्तव्य स्थल में
उपस्थित (आबत)

संदर्भ - 01. कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय जलंधर 03
द्वितीय एवं तृतीय तल इंदिरावती भवन नवा रायपुर द.ग. के
पत्र क्रमांक 724/126 आ. उ. शिक्षा राज.स्था./2021 अटल
नगर दिनांक 18/10/2021.

02. माननीय इलेक्ट्रोग्र उच्च न्यायालय बिलासपुर में
प्रस्तुत याचिका क्रमांक WPS NO. 2976 of 2021 के
अंतर्गत वर्णित

आदरणीय महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01
खं 02 में दिए गए आदेशों को अवलोकन करने की कृपा करें।

निवेदन है कि उपरोक्त कार्यालय आयुक्त उच्च
शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर द.ग. के पालन में मैं आज
20/10/2021 को अतिथि व्याख्याता हिन्दी के पद पर कार्यभार
ग्रहण करने हेतु आज दिनांक 20/10/2021 को मैं अपने पूर्ववर्ती
कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हो चुकी हूँ।

अतः निवेदन है कि उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर द.ग. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मुझे कार्यभार
ग्रहण कराने की कृपा करें।

लक्ष्मी
[Signature]

प्राची
[Signature]

दिनांक -
20/10/2021
संलग्न उपरोक्त प्रतिलिपि

प्रभा शर्मा
विषय - हिन्दी
शाम (पेन्सरी कामन) जिला- बिलासपुर (द.ग.)

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

शु. प्रभा स्वर्णेश्वर
ग्राम - पेठारी
पोस्टाद - अकरी
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- विषय (ए.ए.) अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 673/स्था./2020-21 दिनांक 04/03/2021 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय (ए.ए.) के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 26-05-2021 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा।


आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोकसेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण पत्र स्वमेव समाप्त हो जायेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं हैं। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।

नोट :-1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।


प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

प्रति

प्राचार्य



इंदिरा गांधी शास महा० पण्डरिया
जिला कुबीरधाम (उ.प्र.)

विषय: - अतिथि व्याख्याता (रसायन शास्त्र) पद पर
पुनः नियुक्ति प्रदाय बाबत /

- संदर्भ: 1. शासनदेश क्रं. फ-3-32/2020/38-1 नवा
रायपुर दिनांक 12/10/2021
2. न्यायदेश WPS NO 3406 of 2021

अर्थात्

निवेदन है कि उपरोक्त कार्यालय आपुक्त उच्च शिक्षा
संचालनालय के क्रं. फ-3-32/2020/38-1 दिनांक तथा रायपुर दिनांक
18/10/2021 को आदेशानुसार में माननीय उच्च न्यायलय बिलासपुर
उ.प्र. के न्यायाद पारिष्ट पिटिशन संख्या WPS NO. 3406 of 2021
के अनुसार जैसी नियुक्ति यथावत रखा गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 20/10/2021 को
उक्त संबंधित पत्रों के अनुसार महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता
रसायन शास्त्र में कार्यभार प्रदान करने हुये प्रत्यापन कार्य की
अनुमति देने की कृपा करे

धन्यवाद

Dr. Chandrakant
20/10/2021

प्रार्थी

नाम - शिवरामकृष्ण चक्रवर्ती
विषय - रसायन शास्त्र
फ़ोन - 7975198219
ताम - धुबडी, पो. कुआ
तह. पण्डरिया, जिला कुबीरधाम

दिनांक
20/10/2021

रसायन शास्त्र



प्राचार्य

इंदिरा गांधी शास. महा. पंढरिया
जिला कबीर धाम (छ.ग.)

विषय - अतिथि व्याख्याता (प्राणीशास्त्र) पुनः नियुक्ति प्रदाय
बाबत

- संदर्भ - 1. शासनादेश क्र. F-3-32/2020/38-1 नवा रायपुर
दिनांक - 18/10/2021
2. न्यायदेश WPS NO. 1829 of 2020

महोदय

निवेदन है कि उपरोक्त कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सेनालनालय के क्र. - F 3-32/2020/38-1 दिनांक नवा रायपुर
दिनांक 12/10/2021 को आदेशानुसार में माननीय उच्च
न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के न्यायाद पर रिट विरीशन
संख्या WPS NO. 1829 of 2020 के अनुसार मेरी
नियुक्ति यथागत रहा गया है


अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 20/10/2021 को
उक्त संबंधित पत्रों के अनुसार महा. में अतिथि व्याख्याता
प्राणीशास्त्र में कार्यभार प्रदान करते हुए अध्ययन कार्य
को अनुमति देने की कृपा करें

धन्यवाद

प्राची 
20/10/2021

दिनांक

20/10/2021

स्थापना शाखा


नाम - सत्यम कुमार डैन्डे

विषय - प्राणीशास्त्र

पता - उमरा बिल्डिंग - 3

पारन जिला दुर्ग (छ.ग.)

मो. - 9340248755

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शा. म. पण्डरिया
जिला कबीरधाम (द. ग.)



विषय - अतिथि व्याख्याता (वनस्पति) पुनः नियुक्ति
प्रदाय वावत

संदर्भ - 1. न्यायादेश WPS No 1829 नं 2020
2. शासनादेश क्र. F 3-32/2020/38-1 नवारायपुर
दिनांक 12/10/2021

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर द. ग. के
न्यायादेश पर रिट पिटिशन संख्या WPS No-1829
नं 2020 के अनुसार मेरी नियुक्ति यथावत रखी
गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 18/10/2021
के पूर्व दिने उक्त सम्बंधित पत्रों के अनुसार महाविद्यालय में
कार्यभार प्रदान करते हुए अध्यापन कार्य की अनुमति
देने का कष्ट करें।

धन्यवाद!

संलग्न - 1. आदेश कापी ना छायाप्रति
2. माननीय उच्च न्यायालय रिट पिटिशन
दिनांक - 18/10/2021

प्राचार्य महोदय के सतत प्रहारे
के
18.10.21

प्राचार्य
नाम - दीपक कु. सोनी
विषय - वनस्पति शास्त्र
पता - कुनकुरी जिला-जशपुर
मो - 9144361841

नाम - दीपक कु. सोनी
विषय - वनस्पति शास्त्र
पता - कुनकुरी जिला-जशपुर
(द. ग.)
मो - 9144361841



श्री मान प्राचार्य
इंदिरा गाँधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया,
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :- अतिथि व्याख्याता (विषय - जन्तु विज्ञान) के पद
पर कार्यभार ग्रहण करने का बतल।

संदर्भ :- 01. कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय जिला 03
द्वितीय एवं तृतीय तल इंप्रोव्ही भवन, नवा रायपुर छ.ग.
के पत्र क्रमांक 724/126/आउश.राज.स्था./2021 अटल नगर
दिनांक 18.10.2021

02. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत
याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी.एस. / 7525 / 17 के आदेश
दिनांक 31.07.2018

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 एवं 02
में दिये गये आदेशों की अवलोकन करने की कृपा करें।

निवेदन है कि उपरोक्त कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
संचालनालय नवा रायपुर छ.ग. के पालम में मैं आज दिनांक -
20.10.2021 की अतिथि व्याख्याता जन्तु विज्ञान के पद पर कार्यभार
ग्रहण करने हेतु उपस्थित हूँ। आज दिनांक - 20.10.2021 की मैं अपने
पूर्ववर्ती कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हो चुकी हूँ।

अतः निवेदन है कि उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर छ.ग.
द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मुझे कार्यभार ग्रहण कराने
की कृपा करें। सादर।


20.10.2021

भवदीय

दिनांक - 20.10.2021

संलग्न - उपरोक्तानुसार

माधुरी रत्न भास्कर

विषय - जन्तु विज्ञान

मौ.नं. - 9993634424

कोषा... 2021

प्रचार्य,
इंद्रिय गांधी शासकीय मध्याविद्यालय परभरिया,
जिला - कबीरधाम (ह.ग.)



विषय :- अनिर्दिष्ट व्याख्याता भूगोल के पद पर कर्तव्य स्थल में उपस्थित
बाबत।

संदर्भ :- 01. कार्यलय ज्ञान्युक्त उच्च शिक्षा संचालनालय बलाक 03 द्वितीय
एवं तृतीय तल इलाहाबादी भवन, नवा रायपुर ह.ग. के पत्र क्रमांक
724/126/आ.श.सि./राज.स्था./2021 अथवा नगर दिनांक 18.10.2021

02. माननीय हत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत याचिका
क्रमांक डबल्यू.पी.एस./5849/2018 अपिना दूबे एवं अन्य
विरुद्ध हत्तीसगढ़ शासन में पारित आदेश दिनांक 06.09.2018
के अंतर्गत वर्णित।

आदरणीय महोदय,
उपरोक्त विषयानुगत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 एवं 02 में दिये
गए आदेशों को अवलोकन करने की कृपा करें।

नितेव्य है कि उपरोक्त कार्यलय ज्ञान्युक्त उच्च शिक्षा
संचालनालय नवा रायपुर ह.ग. के पालन में मैं आज दिनांक
20.10.2021 को अनिर्दिष्ट व्याख्याता भूगोल के पद पर कार्य
आरंभ करने हेतु उपस्थित हूँ आज दिनांक 20.10.2021
को मैं अपने पूर्ववर्ती कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हो चुका हूँ।

अतः नितेव्य है कि उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर ह.ग.
द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मुझे कार्य आरंभ करने
की कृपा करें।

आदर।

20.10.2021

अवधाय

पंकज भारकसैय

ग्राम-मनिठा, पो.भैंसा, थाना-खैरा
तह.आरंग, जिला-रायपुर (ह.ग.)

पिन- 493225

मो. 9754132333,

दिनांक 20.10.2021
संलग्न उपरोक्तानुसार

व्यापना शाखा
20-10-21



प्रति,



प्राचार्य
डॉ. गांधी शास महा. पण्डरिया
पिना कवीरधाम (द.ग.)

विषय :- आतिथी व्याख्याता (वनस्पति शास्त्र) पद पर पुनः
नियुक्ति प्रदाय वाकत

- संदर्भ :
1. शासनदेश क्रं. F-3-32/2020/38-1 तथा रायपुर दिनांक 18/10/2021
 2. व्यापदेश WPS NO. 34060/2021 के अनुसार मेरी

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त कार्यालय आपुस्त उच्च शिक्षा संचालनालय के क्रं. F-3-32/2020/38-1 दिनांक तथा रायपुर दिनांक 18/10/2021 को आदेशानुसार मैं माननीय उच्च अध्ययन विभागाध्यक्ष द.ग. के व्यापक पर रिपिटिशन सं. WPS NO. 34060/2021 के अनुसार मेरी नियुक्ति प्रदाय खा गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 22/10/2021 को उक्त संबंधित पत्रों के अनुसार महाविद्यालय में अतिथी व्याख्याता वनस्पति शास्त्र में कार्यभार प्रदान करते हुए अध्यापन कार्य की अनुमति देने की कृपा करें

आपका शार्दा धन्यवाद

Mukul Mishra
प्राधी

दिनांक
22/10/2021

नाम - ममता कुजामित्र
विषय - वनस्पति शास्त्र

mob. - 9685541110
8770701017